



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/सीआईआर/ 703

18. 10.2024

प्रति,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: संशोधित RoDTEP दरों के लिए इनपुट के संबंध में**

इसका संदर्भ DTA इकाइयों और AA/EOU/SEZ इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए RODTEP योजना के विस्तार पर 30 सितंबर, 2024 की DGFT अधिसूचना संख्या: 32/2024-25 से है - reg.

DGFT ने 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी निम्नलिखित परिशिष्ट जारी किया है।

- परिशिष्ट 4R- DGFT द्वारा DTA निर्यात के लिए RoDTEP अनुसूची
- परिशिष्ट 4RE- अग्रिम प्राधिकरण (AA)/निर्यात उन्मुख इकाई (EOU)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) निर्यात के लिए RoDTEP अनुसूची।

इन परिशिष्टों ने विभिन्न वस्तुओं के लिए RoDTEP दरों को संशोधित किया है।

इसके अलावा, हमें कार्यालय से संचार प्राप्त हुआ है। डीजीएफटी ने सूचित किया कि संशोधित आरओडीटीईपी दरों में किसी भी विसंगति और स्पष्ट त्रुटियों के मामले में, सदस्य पर्याप्त तर्क और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्लेक्सकॉन्सिल को ड्रॉबैक डिवीजन को आगे प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी टैरिफ लाइनों से संबंधित इनपुट पर्याप्त तर्क और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ 22 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org); [anirudha@plexconcil.org](mailto:anirudha@plexconcil.org) पर परिषद को प्रस्तुत करें।

कृपया अधिसूचना का लिंक देखें: <https://shorturl.at/TN9OD>

सादर अभिवादन,

भारती पारावे  
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति  
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद